वित्तीय अधिकारों की पुस्तक

अध्याय–I

परिभाषायें

1. जब तक कि विषय अथवा प्रसंग में कोई बात इसके प्रतिकूल न हो, इस नियम संग्रह में इस्तेमाल किये गये शब्द, जिस आशय में प्रयोग किये गये हैं, उनको यहाँ परिभाषित किया गया है।
2. "संविधान" से तात्पर्य भारत के संविधान से है।
3. "वित्त विभाग" से तात्पर्य शासन के वित्त विभाग से है।
4. "राज्यपाल" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।
5. "शासन" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन से है।
6. "सरकारी सेवक" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है जो शासन की सेवा में हो। इसमें ऐसे समस्त व्यक्ति जो राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हों, जिनकी सेवा की शर्तें राज्यपाल द्वारा संविधान की धारा 309 में निर्धारित हैं वे भी जिनका संदर्भ संविधान की धारा 314 में है, सम्मिलित है।
7. "विभागाध्यक्ष" से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है, जो शासन द्वारा इस रूप में विशेष रूप से घोषित किया गया हो।

   टिप्पणी—उन प्राधिकारियों की सूची, जो विभागाध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग करते हैं इस अध्याय के परिशिष्ट में मिलेंगीं।
8. "कार्यालयाध्यक्ष" से तात्पर्य कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी से है।
9. "राज्य का राजस्व" (संविधान के अनुच्छेद 266 का खण्ड 1 और वित्तीय नियम संग्रह के खण्ड 5 के अध्याय 2 और 3 देखिये।)
10. "राज्य" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

परिशिष्ट (पैरा 7 देखिये)

उन प्राधिकारियों की सूची जो विभागाध्यक्ष घोषित किये गये हैं—

1. राजस्व परिषद्
2. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
3. विधि परामर्शी
4. महाधिवक्ता
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन निदेशक
6. मण्डलों के आयुक्त
7. शासन के सचिव

भाग 14

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय 1—सेवाएं

निर्वचन।

308. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" पद [1][के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।]

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें।

309. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे:

परंतु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, यथास्थिति, संघ के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राष्ट्रपति या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निदिष्ट करे और राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राज्य का राज्यपाल [2]*** या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निदिष्ट करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिए सक्षम होगा और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि।

310. (1) इस संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथाउपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और प्रत्येक

---

[1]संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2]संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।

प्रांत की सरकार के अधीन सेवा में उसके बने रहने के संबंध में भेजे गए किसी पत्र के आधार पर उत्पन्न कोई विवाद;

(ख) मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 के अधीन किसी अधिकार, दायित्व या बाध्यता के संबंध में कोई विवाद।

(4) इस अनुच्छेद के उपबंध मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 में या इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।]

संक्रमणकालीन उपबंध।

313. जब तक इस संविधान के अधीन इस निमित्त अन्य उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी सभी विधियां जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त हैं और किसी ऐसी लोक सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बना रहता है, लागू हैं वहां तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जहां तक वे इस संविधान के उपबंधों से संगत हैं।

314. [कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध।] संविधान (अट्ठाइसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 द्वारा (29-8-1972 से) निरसित।

अध्याय 2—लोक सेवा आयोग

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।

315. (1) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

(2) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद् उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की (जिसे इस अध्याय में "संयुक्त आयोग" कहा गया है) नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी।